

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (विविध)-34/2022 ...6852 न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-18/6/25

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-205 दिनांक-12.06.2025 के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर के स्थानांतरण के फलस्वरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबंधन), समस्तीपुर नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

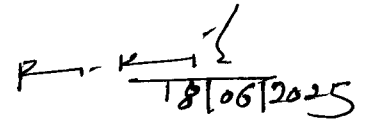
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (विविध)-34/2022 6852 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-18/6/25

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्तीपुर / श्री राजेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबंधन), समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।